—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 156/2024

उनवान

शैतान सिंह उर्फ सज्जन सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत नि. देराठू, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड

बनाम

1. रघुवीर सिंह,
2. रणवीर सिंह,
3. सुलोचना कंवर पि. दशरथ सिंह
4. रेखा कंवर पत्नी किशन सिंह,
5. सुगन सिंह पुत्र मूल सिंह,
6. सरदार सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत नि. देराठू, नसीराबाद,
7. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा शाखा नसीराबाद,
8. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 3 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 5/3/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की खातेदारी/काश्तकारी की भूमि है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

हाल खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
1197/1155	किता 11	3.70

उक्त आराजी वादी की खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा पर विरासत का नामान्तकरण करते समय वादी का नाम सज्जन सिंह पुत्र मूल सिंह के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से शैतान सिंह पुत्र मूल सिंह दर्ज कर दिया है। जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम सज्जप सिंह पुत्र मूल सिंह है। राजस्व अभिलेख में वादी का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दिया है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त इन्द्राज बंदोबस्त विभाग व राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के किया गया है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम दुरूस्त किया जावे। वादी के हक में खातेदारी उद्घोषणा जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व अभिलेख में शैतान सिंह [illegible] कि सलंग्न दस्तावेज राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, विधाालय प्रमाण पत्र, [illegible] प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के अनुसार वादी शैतान सिंह के स्थान पर सज्जन सिंह [illegible] चाहता है। वादग्रस्त भूमि खातेदारी होने से राजहित प्रभावित नहीं होता [illegible] वादी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:37:48 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

राज. पैराकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के खाता संख्या 1197/1155 किता 11 रकबा 3.70 की आराजी वादी व अन्य सह खातेदार के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी में वादी का नाम शैतान सिंह दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही व वास्तविक नाम सज्जन सिंह है। इसके समर्थन में वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, विधालय का प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड पेश किये है। वादी द्वारा प्रस्तुत आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 274 में मूल सिंह पुत्र करण सिंह के ननाम खातेदारी दर्ज थी। नामानतकररण संख्या 103 दिनांक 27.1.83 से मूल सिंह की विरासत से उक्त आराजी पर वादी शैतान सिंह व अन्य वारिस का नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा के साबिक राजस्व अभिलेख में वादी के पिता की विरासत दर्ज करते समय ही आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम शैतान सिंह अंकित हो गया है। आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी है। वादी का नाम अन्य अभिलेखों में सज्जन सिंह है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी शैतान सिंह व सज्जन सिंह एक ही व्यक्ति होना बताया है। प्रतिवादी प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। वादी का नाम दुरूस्त करने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। राज. पैरोकार ने नाम दुरूस्ती की अभिशंषा की है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के खाता संख्या 1197/1155 किता 11 रकबा 3.70 की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का नाम शैतान सिंह पुत्र मूल सिंह के स्थान पर सज्जन सिंह अंकित किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:57:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शैतान सिंह बनाम रघुवीर सिंह

दावा बाबत :– 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 156/2024
पेश करने की दिनांक – 01.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नरेन्द्र सिंह राठौड मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के खाता संख्या 1197/1155 किता 11 रकबा 3.70 की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का नाम शैतान सिंह पुत्र मूल सिंह के स्थान पर सज्जन सिंह अंकित किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 3 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:57:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद